"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50] रायपुर, सोमवार, दिनांक 26 मार्च 2012—चैत्र 6, शक 1934

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2012

अधिसूचना

फा. क्र. 2274/787/21-ब/छ.ग./12.—स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का संख्यांक 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग द्वारा, अनुसूची के कालम (2) में उल्लेखित प्रविष्टियों के संबंध में, पूर्व में जारी अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना के अनुसूची में, कॉलम (2) में उल्लेखित अधिकारियों को, उक्त सूची के अनुसूची के कॉलम (3) में उल्लेखित स्थानों पर, विशेष न्यायाधीश पदस्थ किया जाता है, अर्थात् :—

क्र. (1)	न्यायिक अधिकारी का नाम, पदनाम तथा स्थान (2)	सिविल जिले का नाम (3)
1.	श्री आई. एस. उबोवेजा, सत्र न्यायाधीश, धमतरी	धमतरी
2.	श्री ए. के. शुक्ला, सत्र न्यायाधीश, रायगढ़	रायगढ़

Raipur, the 20th March 2012

NOTIFICATION

F. No. 2274/787/XXI-B/C.G./12.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 36 of the Norcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government, with the concurrence of the Hon'ble Chief Justice of High Court of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in departments previous Notification, relating to the entries mentioned in column No. (2), namely :—

AMENDMENT

In the Schedule of the said notification, officers mentioned in column (2) are posted as Special Judge, at the places montioned in column (3) of the said Schedule, namely :—

S. No. (1)	Name of the Judicial Officer (2)	Name of Civil District (3)
1.	Shri I. S. Uboweja, Sessions Judge, Dhamtari	Dhamtari
2.	Shri A. K. Shukla, Sessions Judge, Raigarh	Raigarh

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंतराय, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.